क्र म-संख्या–243

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट )

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 अप्रैल, 1985

चैत्र 14, 1907 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 558/सत्रह–वि0-1–1 (क)—3-1985

लखनऊ, 4 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 3 अप्रैल, 1985 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

## उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 नवम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन् 1935 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, प्रथम अनुसूची में, भाग "ख" (परिवहन गाड़ियां) में अनुच्छेद 4 में,--

(क) खण्ड (4), खण्ड (5) और खण्ड (6) में, जहां-जहां भी शब्द "ड्राइवर को छोड़कर" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर" रख दिए जायेंगे :;

(ख) वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके "स्पष्टीकरण 1" कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् निम्न-लिखित स्पष्टीकरण-2 बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण-2 खण्ड (4) या खण्ड (5) या खण्ड (6) के अधीन कर की धनराशि की संगणना करने के लिए ड्राइवर और कन्डक्टर के बैठने के स्थान की गणना नहीं की जाएगी ।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1984

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
राजेश्वर सिंह,
विशेष सचिव ।

---

No. 558(2)/XVII-4—1-1(KA)-3-1985

*Dated Lucknow, April 4, 1985*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 3, 1985:

## THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. Act no. 10 of 1985]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN
ACT

*further to amend the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935*

It is hereby enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 21, 1984.

Amendment of the First Schedule to U.P. Act no. 5 of 1935.

2. In the First Schedule to United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935 in Part 'B' (Transport-Vehicles), in Article IV hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in clause (4), clause (5) and clause (6), *after* the words "exclusive of the driver" wherever they occur, the words "and the conductor" shall be *inserted* ;

(b) the existing Explanation shall be renumbered as "Explanation-1" and *after* the Explanation 1 as so *renumbered*, the following Explanation 2 shall be *inserted*, namely :—

"*Explanation* 2—The seats meant for the driver and the conductor shall not be taken into account for computing the amount of tax under clause (4) or clause (5) or clause (6)".

U.P. Ordinance no. 23 of 1984.

Repeal and Savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 1984, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
RAJESHWAR SINGH,
*Vishesh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 3 सा० (विधा०)—(82)—1985—750 (मै०)।